उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-54/2016/2601/92-1-2016-51(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 19 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश सं0-वे0आ0-2-773/दस-62 (एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के अनुक्रम में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधोतालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सहायक/अधिशासी अभियंताओं को 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि पर विचार करते हुये स्तम्भ-5 में उल्लिखित तिथि से ग्रेड पे रू0 8700 तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में अनुमन्य कराये जाने/न कराये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	तृतीय ए0सी0पी0 की देयता की तिथि	ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत तृतीय ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की तिथि/ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	श्री जे0एन0 तिवारी (से0नि0 दिनांक 31-01-2009)	अधि. अभि.	01-12-08	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री जे0एन0 तिवारी की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 01-12-08 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
2	श्री एम0के0 भार्गव, (से0नि0 दिनाक 30-08-10)	अधि. अभि.	01-12-08	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री एम0के0 भार्गव की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 01-12-08 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
3	श्री पी0के0 बंसल (से0नि0 दिनांक 30-6-2010	अधि. अभि.	01-12-08	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री पी0के0 बंसल की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 01-12-08 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
4	श्री शिव पूजन सिंह (से0नि0 दिनांक 30-6-2010	सहा. अभि.	01-12-08	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री शिव पूजन सिंह की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 01-12-08 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
5	श्री कुशलवीर सिंह (प्रतिनियुक्ति पर)	अधि. अभि.	15-03-15	श्री कुशलवीर सिंह को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 15-03-2015 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किया जाता है।
6	श्री ललित गुप्ता (प्रतिनियुक्ति पर),	अधि. अभि.	09-05-15	श्री ललित गुप्ता को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 09-05-2015 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किया जाता है।
7	श्री परवेज	अधि. अभि.	10-03-15	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री परवेज की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 10-03-15 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
8	श्री जगभूषण शर्मा	अधि. अभि.	14-03-15	श्री जगभूषण शर्मा को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 14-03-2015 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किया जाता है।
9	श्री विजय कुमार दुबे	अधि. अभि.	17-04-15	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री विजय कुमार दुबे की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

				स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 17-04-15 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
10	श्री विष्णु कुमार	अधि. अभि.	14-03-15	श्री विष्णु कुमार को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 14-03-2015 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किया जाता है।
11	श्री रियाज अहमद सिद्दीकी	अधि. अभि.	10-03-15	श्री रियाज अहमद सिद्दीकी को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 10-03-2015 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किया जाता है।
12	श्री नीरज कुमार	अधि. अभि.	10-03-15	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री नीरज कुमार की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 10-03-15 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
13	श्री हसनैन अहमद	अधि. अभि.	14-03-15	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री हसनैन अहमद की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 14-03-15 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
14	श्री शिव लाल (से0नि0 दिनांक 31-7-2015)	अधि. अभि.	01-04-15	श्री शिव लाल को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 01-04-2015 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किया जाता है।
15	श्री सुरेश चन्द्र	अधि. अभि.	25-05-11	स्थगित। (निर्देश या0सं0-1205/2013 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-02-2013 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत पुनर्विचार याचिका सं0-65/2016 में अन्तिम निर्णय पारित होने तक।)
16	श्री अशोक कुमार	अधि. अभि.	16-04-15	श्री अशोक कुमार को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 16-04-2015 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किया जाता है।
17	श्री हरेन्द्र सिंह	अधि. अभि.	14-03-15	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री हरेन्द्र सिंह की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 14-03-15 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
18	श्री राम चन्द्र	अधि. अभि.	21-05-11	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री राम चन्द्र की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 21-05-2011 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
19	श्री शिव प्रसाद राम	अधि. अभि.	28-05-11	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री शिव प्रसाद राम की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दि0 28-05-2011 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
20	श्री नरेन्द्र कुमार (प्रथम) (से0नि0 दिनांक 30-06-2016)	अधि. अभि.	25-06-11	स्थगित। (शासनादेश दिनांक 05-11-2014 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-14 के अनुसार)
21	श्री कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव	अधि. अभि.	16-07-11	श्री कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 16-07-2011 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

22	श्री रिजवान साबिर	अधि. अभि.	19-07-11	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री रिजवान साबिर की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 19-07-2011 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
23	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता	अधि. अभि.	08-11-11	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 08-11-2011 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किया जाता है।
24	श्री अभय शंकर सिंह	अधि. अभि.	21-12-10	श्री अभय शंकर सिंह को अनुमन्य कराये गये प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की तिथि 21-12-89, विनियमितीकरण की तिथि 17-06-92 से पूर्व की है, अतः श्री सिंह के विनियमितीकरण की तिथि 17-06-92 को उक्त प्रथम वैयक्तिक वेतनमान देय मानते हुये तद्नुसार 26 वर्ष की सेवा आगणित करने के उपरान्त श्री सिंह को दिनांक 17-06-2013 से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य किया जाता है।
25	श्री श्याम नारायण पाण्डेय (से0नि0 दिनांक 30-06-2011)	सहा. अभि.	19-05-10	सेवा अभिलेखों के आधार पर श्री श्याम नारायण पाण्डेय की सेवायें संतोषजनक न होने के कारण उन्हें तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दि0 19-05-2010 से ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
26	श्री राधे श्याम सिंह (विद्युत) (से0नि0 दिनांक 30-11-2014)	सहा. अभि.	24-08-13	श्री राधे श्याम सिंह को अनुमन्य कराये गये प्रथम चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान की तिथि 24-08-1992, विनियमितीकरण की तिथि 22-05-2003 से पूर्व की है, अतः श्री सिंह के विनियमितीकरण की तिथि 22-05-2003 को उक्त प्रथम वैयक्तिक वेतनमान देय मानते हुये तद्नुसार 26 वर्ष की सेवा आगणित करने के उपरान्त श्री सिंह सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30-11-2014 तक उक्त अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं करते हैं, अतः श्री सिंह को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 8700 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-54 /2016/2601(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित सहायक/अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0 अभि0 विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in